

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्र0-05/ल0ज0सं0/स्था0मु0-18/22 25-

पटना/दिनांक- 19/01/26

कार्यालय आदेश

मंत्रिमंडल सविवालय विभाग, बिहार के पत्रांक-83 दिनांक-09.01.2026 के आलोक में बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय "सबका सम्मान-जीवन आसान" (Ease of Living) के तहत लघु जल संसाधन विभाग (मुख्यालय) में सप्ताह के दो कार्य दिवसों (सोमवार एवं शुक्रवार) को आमलोगों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाना है। उक्त दो कार्यदिवसों को आगन्तुकों का पदाधिकारियों से मिलने का समय/स्थान निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

दिन	समय	स्थान
सोमवार	04:00-05:00 अपराह्न	सचिव कार्यालय कक्ष
शुक्रवार	04:00-05:00 अपराह्न	

02. निर्धारित दोनों कार्य दिवसों को सचिव आमलोगों से अपने कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। यदि सचिव किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव आम लोगों से मिलेंगी। यदि अपर सचिव भी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री सुशांत कुमार, अपर सचिव आम लोगों से मिलेंगे।

03. आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि सुविधाओं को स्टेशनरी संबंधित पटल (प्रशाखा-05) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

04. आगन्तुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था जन शिकायत प्रशाखा (प्रशाखा-10) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

05. आमलोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनांक-19.01.2026 (सोमवार) के प्रभाव से लागू होगा।

(दिलीप कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

लघु जल संसाधन विभाग

/पटना, दिनांक- 19/01/26

ज्ञापांक- 356

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक- 19/11/26

ज्ञापांक- 356

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी /संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आईटी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव